

कार्यालय प्रधानाचार्य:: जी० एस० वी० एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

पत्र संख्या- /ई०सी०-1/एन०डी०/2025

दिनांक 26/05/2025

:- सूचना :-

शासन के पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 दिनांक 14 जून 2024 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में रिक्त चिकित्सा शिक्षकों के पदों को संविदा के आधार पर वाक-इन-इन्टरव्यू माध्यम से चयन के मामलों में नियुक्ति/तैनाती व अन्यर्थायों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कराये जाने हेतु सेवायोजन विज्ञापित संख्या-01/एन०डी०/2025 दिनांक 01-01-2025 के सन्दर्भ में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर में विभिन्न विभागों/ट्रामा सेक्टर के अन्तर्गत संविदा के आधार पर आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर सेवायोजन हेतु विज्ञापित की गयी है, जिसके आधार पर रोगी के उपचार/एन०एम०सी० (एम०सी०आई०) मानकों की पूर्ति हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय/सुपर स्पेशियलिटी इन्स्टीट्यूट (पी०एम०एस०एस०वाई०) रिक्त आचार्य, सह आचार्य एवं सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर भरे जाने हेतु इन पदों पर चयन वाक-इन-इन्टरव्यू (walk-in-interview) पद्धति से शासन द्वारा नियुक्त चयन समिति के माध्यम से किया जायेगा। इच्छुक अन्यर्थायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामाजिक हेतु अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ विज्ञापित जारी होने के पश्चात माह के बुधवार, बृहस्पतिवार एवं शुक्रवार दिनांक 28, 29, एवं 30-05-2025 को परीक्षा हाल-3, मेडिकल कालेज, कानपुर में प्रातः 10:00 बजे से सायं-04:00 बजे के मध्य उपस्थित हों। अन्यर्थायों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह सामाजिक के दिवस अपने समस्त शैक्षिक/अनुभव प्रमाण पत्रों/शोध पत्रों तथा एन०एम०सी० की गाइड लाइन के अनुसार सहायक आचार्य हेतु सीनियर रेजिडेंसी एवं आचार्य/सह आचार्य हेतु एम०ई०टी०/बी०सी०बी०आर० प्रमाण पत्र की (स्व प्रमाणित) छायाप्रतियों का एक सेट बायोडाटा सहित भी लायेंगे। चिकित्सा शिक्षकों के पदों की रिक्तियाँ एवं नियुक्ति की सत जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर के वेबसाइट www.gsvmedicalcollege.com पर उपलब्ध है। पदों की संख्या घट बढ़ सकती है।

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा चिकित्सा शिक्षकों की रिक्त पदों की संख्या								
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
1	आर्थोपेडिक्स	1	ड्रामा	अनारक्षित	(4)	1	अनारक्षित (32)	1	एस०सी०	(83)
						1	ओ०बी०सी० (57)			
						1	अनारक्षित (58)			
2	आयुर्वेदमोर्लोजी	0	0	0	1	एस०सी० (59)	1	अनारक्षित		(104)
						1	ई०डब्ल्यू०एस० (60)			
3	आब्स्टेट्रिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	0	0	0	0	0	0	1	एम०डब्ल्यू०ओ०	(6)
4	इम्यूनो हिमेटोलॉजी एण्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	0	0
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओ०बी०सी०	(55)	1	अनारक्षित (66)	1	ई०डब्ल्यू०एस०		(110)
						1	ओ०बी०सी० (67)	1	एस०सी०	(111)
								1	अनारक्षित	(112)
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओ०बी०सी०	(37)	1	एस०सी०	(59)
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(39)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)
								1	ओ०बी०सी०	(51)
								1	अनारक्षित	(78)
								1	अनारक्षित	(86)
								1	ओ०बी०सी०	(87)
8	एनेस्थीसिया	0	0	0	1	अनारक्षित (6)	1	ड्रामा	अनारक्षित	(14)
						1	ओ०बी०सी० (9)	1	एस०सी०	(15)
						1	अनारक्षित (68)	1	एस०सी०	(115)
						1	एस०सी० (69)	1	ओ०बी०सी०	(119)
						1	ई०डब्ल्यू०एस० (70)			
						1	ओ०बी०सी० (71)			
						1	अनारक्षित (72)			
9	आई०सी०यू०एनेस्थीसियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	ओ०बी०सी०	(39)	1	ओ०बी०सी०	(39)	0	0	0
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ई०एन०टी०)	1	ओ०बी०सी०	(57)	0	0	0	0	0	0
11	कम्युनिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(12)	1	ओ०बी०सी०	(19)
								1	ओ०बी०सी०	(81)
								1	एस०सी०	(121)
								1	एस०सी०	(159)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(160)
								1	अनारक्षित	(172)
12	किटिकल केयर आई०सी०यू० (पीएमएसएसवाई)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(40)	1	एस०सी०	(41)	0	0	0
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओ०बी०सी० (75)	1	ई०डब्ल्यू०एस०		(20)
						1	अनारक्षित (76)	1	एस०सी०	(41)
						1	ओ०बी०सी० (77)	1	एस०टी०	(47)
						1	अनारक्षित (78)	1	एस०सी०	(53)
						1	एस०सी० (79)	1	अनारक्षित	(54)
						1	ई०डब्ल्यू०एस० (80)	1	ओ०बी०सी०	(55)
						1	ओ०बी०सी० (81)	1	एस०सी०	(63)
						1	अनारक्षित (104)	1	अनारक्षित	(64)
						1	एस०सी० (105)	1	ओ०बी०सी०	(123)
						1	एस०सी० (31)	1	अनारक्षित	(124)
								1	एस०सी०	(125)
								1	अनारक्षित	(126)
								1	ओ०बी०सी०	(127)
14	जनरल सर्जरी	0	0	0	1	ओ०बी०सी० (85)	1	ड्रामा	अनारक्षित	(24)
						1	अनारक्षित (86)	1	ओ०बी०सी०	(65)
						1	ओ०बी०सी० (87)	1	एस०सी०	(99)
						1	अनारक्षित (88)	1	ई०डब्ल्यू०एस०	(100)
						1	एस०सी० (89)	1	ओ०बी०सी०	(129)
								1	ई०डब्ल्यू०एस०	(130)
								1	एस०सी०	(131)
								1	ओ०बी०सी०	(165)
								1	अनारक्षित	(166)
								1	ओ०बी०सी०	(167)
								1	अनारक्षित	(168)
								1	एस०सी०	(169)
15	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित (54)	1	अनारक्षित		(134)
						1	ई०डब्ल्यू०एस० (90)			
						1	अनारक्षित (106)			
16	डर्मिटोलॉजी (स्कीन एण्ड वी०डी०)	1	ओ०बी०सी०	(65)	1	ओ०बी०सी० (91)	0	0	0	0
						1	ओ०बी०सी० (107)			
17	डेंटल	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	न्यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	ओ०बी०सी०	(27)
19	न्यूरोसर्जरी	1	ओ०बी०सी०	(43)	0	0	0	0	0	0
20	न्यूरो रेडियोलॉजी (पीएमएसएसवाई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(44)	0	0	0

1. संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रु०-2,20,000/-, सह आचार्यों का नियत वेतन रु०-1,80,000/-, सहायक आचार्यों का नियत वेतन रु०-1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मेसी पद हेतु-रु० 75000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
2. शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्ति चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
3. शासनादेश सं०-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
4. चयन से सम्बन्धित कालेज से उत्तीर्ण अर्थवर्षी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अर्थवर्षी को पूर्ववर्ती अर्थवर्षी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
5. चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
6. ओपीओडी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
7. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
8. कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आर्य रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
9. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
10. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुम्य नहीं होंगे।
11. संविदा पर नियुक्ति चिकित्सा शिक्षकों की सेवाएं लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
12. ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अर्थवर्षी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी संतोषजनक सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवाधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः स्वयं भी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार की पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे उक्त कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
15. चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमोत्तरण के लिए हकदार नहीं होगा।
16. संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक खंड द्वारा और किसी भी समय 01 माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
17. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुबंध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबंध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह नवम्बर में अपने कार्य एवं अपने कालेज के आधार पर अपने विनियमोत्तरण अथवा स्वाधीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमान होगी।
18. अर्थवर्षीयों से साक्षात्कार के समय इस आशय का घोषणा पत्र भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जायेगी।
19. उ०अ०शासन, कर्मिक अनुमान-2, उ०अ० लखनऊ के कार्यविज्ञापन सं०-1/2019/4/1/2002/का-2/19 टीसी-III दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत ई०ब०ए०एस० (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु कुल शैक्षिक आय रु० 8.00 लाख से कम होगी तथा परिवार की आय और परिस्थिति का प्रमाण पत्र सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार से अनिवार्य अधिकारी द्वारा जारी/प्राणित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण नेट पर देखा जा सकता है।
20. सुपर स्पेशियलिटी के पदों की शैक्षिक अर्हता नवीन एम०एम०सी० ग्राइड लाइन के अनुसार अनुम्य होगी।
21. सुपर स्पेशियलिटी के पदों का समायोजन होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
22. जो अर्थवर्षी एम०डी०/एम०एस० के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं०- 148 / तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।

2- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, उ०प्र०।

3- नोडल अधिकारी बेब साइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को बेवसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर